आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार अपना 14वां आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) पेश कर रही है। सर्वेक्षण में 14 अध्याय हैं। इसमें आरंभिक अध्याय के अतिरिक्त 13 अध्याय हैं - राज्य की वित्तव्यवस्था; कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र; उद्यमिता क्षेत्र, श्रम, रोजगार एवं प्रवास; अधिसंरचना; ऊर्जा क्षेत्र; ग्रामीण विकास; नगर विकास; बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र; मानव विकास; बाल विकास; पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; तथा ई-शासन। इस वर्ष दो अध्याय पहली बार जोड़े गए हैं - पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; तथा ई-शासन। रिपोर्ट की मुख्य बातें नीचे प्रस्तुत हैं।

1. विगत तीन वर्षों में संपूर्ण देश की अपेक्षा बिहार की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि दर दर्ज हुई है और 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 10.53 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 15.01 प्रतिशत थी।

2. वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,57,490 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,94,350 करोड़ रु. था। वहीं, 2018-19 में राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,13,881 करोड़ रु. और स्थिर मूल्य पर 3,59,030 करोड़ रु. था। फलतः 2018-19 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 47,641 रु. और स्थिर मूल्य पर 33,629 रु. था।

3. वर्ष 2018-19 में अर्थव्यवस्था के मुख्य वाहकों की वृद्धि दरें दो अंकों में रही हैं और राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। ये क्षेत्र हैं : वायु परिवहन (36.0 प्रतिशत), अन्य सेवाएं (20.0 प्रतिशत), व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं (17.6 प्रतिशत), पथ परिवहन (14.0 प्रतिशत), और वित्तीय सेवाएं (13.8 प्रतिशत)। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि की अदोहित क्षमता से राज्य को आने वाले वर्षों में उच्च विकास दर दर्ज करने में मदद मिलेगी।

4. वर्ष 2018-19 में बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के संकल्पों का पालन किया गया है। इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.68 प्रतिशत, राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.34 प्रतिशत और राज्य सरकार की लोक ऋण संबंधी कुल देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.34 प्रतिशत के बराबर थी।

5. 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसकी अनुशंसा के अनुसार 2020-21 के लिए केंद्र के कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67 प्रतिशत से बढ़कर 10.06 प्रतिशत हो गया है।

6. वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति 1,31,793 करोड़ रु. और पूंजीगत प्राप्ति 20,494 करोड़ रु. थी। वहीं, राज्य में राजस्व व्यय 1,24,897 करोड़ रु. और कुल व्यय 1,54,655 करोड़ रु. था। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़ी जबकि राजस्व व्यय 21.7 प्रतिशत बढ़ गया।

7. वर्ष 2018–19 में कर राजस्वों से प्राप्ति 14,791 करोड़ रु. बढ़कर 1,03,011 करोड़ हो गई जो गत वर्ष की अपेक्षा 16.8 प्रतिशत अधिक है। वहीं, 2018–19 में करेतर राजस्व 4,131 करोड़ रु. था जो गत वर्ष से 17.8 प्रतिशत अधिक है।

8. एक महत्वपूर्ण विकास यह हुआ कि 2018–19 में लोक ऋण की अदायगी में गत वर्ष की अपेक्षा 55.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। लोक ऋण की अदायगी 2017–18 में 4654 करोड़ रु. थी जो 2018–19 में बढ़कर 7,230 करोड़ रु. हो गई। राज्य सरकार की कुल उधारियां 2018–19 में 18,668 करोड़ रु. थीं जो 2017–18 में 13,169 करोड़ रु. और 2016–17 में 21,577 करोड़ रु. थीं।

9. राजकोषीय प्रबंधन की प्रभाविता में सुधार के प्रयास में राज्य सरकार ने 1 अप्रील, 2019 को व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) की शुरुआत की जिससे राज्य में सारी वित्तीय गतिविधियां ऑनलाइन और कागजरहित हो जाएंगी। वर्ष 2018–19 में एक और विकास यह हुआ है कि राज्य सरकार ने सारे विभागों के लिए जेम पोर्टल से खरीद करना अनिवार्य बना दिया है।

10. वर्ष 2018–19 में राज्य में 163.12 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। वर्ष 2017–18 में अनाजों का उत्पादन 143.21 लाख टन था जो 2018–19 में बढ़कर 158.58 लाख टन हो गया। 2 जनवरी, 2020 को भारत सरकार ने मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है।

11. जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार ने जलवायु के अनुकूल कृषि नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है।

12. राज्य में अंडा उत्पादन 2016–17 के 111.17 करोड़ से बढ़कर 2018–19 में 176.34 करोड़ हो गया। वहीं, मछली का कुल उत्पादन 2013–14 में 4.79 लाख टन था जो 2018–19 में बढ़कर 6.02 लाख टन हो गया।

13. बिहार राज्य जैविक मिशन का क्रियान्वयन राज्य के 12 जिलों (पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर) में किया जा रहा है जिसका 2019–20 से 2021–22 तक के लिए कुल स्वीकृत रकम 15,588.58 लाख रु. है।

14. विगत 10 वर्षों में बिहार में चालू कृषि आधारित कारखानों की वार्षिक वृद्धि दर 16.4 प्रतिशत थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर यह 3.3 प्रतिशत ही थी। वर्ष 2017–18 और 2018–19 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में 742.54 करोड़ रु. का निवेश किया गया है जो 'उच्च प्राथमिकता क्षेत्र' के तहत वर्गीकृत सभी उद्योगों में सबसे अधिक है।

15. वर्ष 2018–19 में राज्य में कॉम्फेड की संगठित समितियों की संख्या 2017–18 के 20,997 से 9.4 प्रतिशत बढ़कर 22,971 हो गई। वर्ष के दौरान सभी दुग्ध संघों का दैनिक दूध संग्रहण 18.7 प्रतिशत बढ़ा है।

16. बिहार में अनिगमित कृषीतर उद्यमों का प्रदर्शन खास तौर पर प्रभावी रहा है। स्वश्रम उद्यमों का प्रति श्रमिक सकल मूल्यवर्धन 71 हजार रु. था जो संपूर्ण भारत के औसत से लगभग 54 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार स्वश्रम उद्यमों का प्रति कारखाना सकल मूल्यवर्धन 94 हजार रु. था और यह भी संपूर्ण भारत के औसत से 7 प्रतिशत अधिक था। स्वश्रम उद्यमों के सकल मूल्यवर्धन का अनिगमित कृषीतर उद्यमों के स्थिर पूंजी के साथ अनुपात भी राष्ट्रीय औसत से अधिक था।

17. वर्ष 2017-18 में बिहार में कामकाजी पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग थे - कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट (44.6 प्रतिशत), निर्माण (17.1 प्रतिशत), थोक और खुदरा व्यापार, वाहनों की मरम्मत (12.3 प्रतिशत), तथा विनिर्माण (9.3 प्रतिशत)। वहीं, महिला श्रमिकों के लिए रोजगार देने वाले मुख्य उद्योग कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट (53.6 प्रतिशत) और शिक्षा (25.7 प्रतिशत) थे।

18. पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूसेटी) ने 1,38,104 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया जिनमें से 45 प्रतिशत पुरुष, 54 प्रतिशत महिलाएं और लगभग 1 प्रतिशत तृतीय-लिंगी थे। कुल प्रशिक्षित प्रत्याशियों में से 74 प्रतिशत को विभिन्न आर्थिक कार्यों में लाभप्रद रोजगार मिल गया।

19. बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना के तहत राज्य में दी जाने वाली मुआबजे की रकम इस प्रकार थी - मृत्यु के लिए 1.00 लाख रु., स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 75,000 रु. और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 37,500 रु.।

20. गत दशक में बिहार में भौतिक अधिसंरचना को काफी मजबूत किया गया है। वर्ष 2011-12 से 2018-19 के बीच परिवहन क्षेत्र की वृद्धि दर 11.0 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण भारी सार्वजनिक निवेश है जो 2012-13 के 5,988 करोड़ रु. से तिगुने से भी अधिक होकर 2019-20 में 18,677 करोड़ रु. हो गया।

21. वर्ष 2008 से 2017 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण (1,30,799 किमी) के लिहाज से बिहार का देश में छठा स्थान था। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल पक्की सड़कों का हिस्सा 2015 में 35 प्रतिशत था लेकिन 2019 में उनका हिस्सा बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया।

22. वर्ष 2018-19 में कुल 11.89 लाख वाहनों का निबंधन हुआ जिनकी संख्या 2013-14 में मात्र 5.53 लाख थी। राज्य में वाहनों के निबंधन से राजस्व संग्रहण भी काफी बढ़ा है जो 2013-14 के 835 करोड़ रु. से लगभग 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 में 2067 करोड़ रु. हो गया है।

23. बिहार में वायु परिवहन क्षेत्र में तेज (35.6 प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि हुई है क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 2011-12 के 31 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 252 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 में 40.61 लाख यात्रियों ने वायु यात्रा की जबकि 2017-18 में उनकी संख्या 31.11 लाख थी।

24. विगत वर्षों के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में दूरसंचार के क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि दर्ज हुई है और दूरभाष घनत्व तेजी से बढ़ता गया है। अभी बिहार में ग्रामीण दूरभाष घनत्व 46 कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति है। वहीं, राज्य में शहरी दूरभाष घनत्व 149 कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति है।

25. व्यापक डाक नेटवर्क के जरिए राज्य में अनेक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिहार में डाकघर बैंक के 272 लाख खाताधारी हैं जिनका पूरे देश के कुल खाताधारियों में 7.3 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में डाकघर बैंकों में कुल बकाया शेष 92,810 करोड़ रु. था जो संपूर्ण भारत का 15.5 प्रतिशत है।

26. राज्य में बिजली की अनुमानित चरम मांग में काफी सुधार हुआ है जो 2012-13 के 2650 मेगावाट से 2018-19 में 5,300 मेगावाट हो गई है; अर्थात पिछले छः वर्षों में यह लगभग 100 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं, मांग की चरम पूर्ति में वृद्धि हुई है जो 2012-13 के 1802 मेगावाट से बढ़कर 2018-19 में 5139 मेगावाट हो गई।

27. राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 के 145 किलोवाट-आवर से बढ़कर 2018-19 में 311 किलोवाट-आवर हो गई जो छः वर्षों में 114 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 6-8 घंटे से बढ़कर 20-22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10-12 घंटे से बढ़कर 22-24 घंटे हो गई।

28. वर्ष 2018 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 3889 मेगावाट थी जो 2019 में 4767 मेगावाट हो गई। बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार 2021-22 तक विभिन्न स्रोतों से 5335 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना पहले ही बना चुकी है।

29. बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद (केंद्रीय वितरण जनित ह्रास को छोड़कर) 2015-16 के 2167.7 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2018-19 में 2811.2 करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2017-18 में लागत वसूली लगभग 80 प्रतिशत थी जो 2018-19 में 86 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।

30. वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों - बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के लिए धनराशि का आबंटन 3663.49 करोड़ रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 6185.63 करोड़ रु. हो गया है।

31. राज्य में 2011-12 से 2018-19 के बीच शिक्षा पर व्यय 13.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। रकम के रूप में देखें, तो बिहार में शिक्षा पर व्यय 2011-12 में 10,124 करोड़ रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 28,080 करोड़ रु. हो गया। इसी तरह, स्वास्थ्य पर व्यय भी 20.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2011-12 के 2125 करोड़ रु. से 2018-19 में 7318 करोड़ रु. हो गया।

32. वर्ष 2041 तक के जनसंख्या के अनुमान के अनुसार, जनसंख्या में कामकाजी उम्र समूह का हिस्सा लगातार बढ़ते हुए 2011 के 43.0 प्रतिशत से 2041 में 58.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

33. बिहार में 2013-17 की अवधि में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 69.2 और महिलाओं के लिए 68.6 वर्ष थी। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 2006-10 की तुलना में पुरुषों के लिए 3.7 वर्षों की और महिलाओं के लिए 2.4 वर्षों की वृद्धि हुई है।

34. वर्ष 2014-15 और 2018-19 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 14.94 लाख से 7.2 प्रतिशत बढ़कर 16.02 लाख हो गई।

35. मिशन इंद्रधनुष के तहत बिहार के लिए प्रतिरक्षण का आच्छादन 41 प्रतिशत अंक बढ़ गया और 2015-16 के 62 प्रतिशत से 2017-18 में 103 प्रतिशत हो गया।

36. वर्ष 2018-19 में उल्लेखनीय प्रगति हुई जब राज्य में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत 20,290 से अधिक वार्डों का आच्छादन किया गया।

37. विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर नामांकन 2012-13 के 154.51 लाख से बढ़कर 2017-18 में 160.08 लाख हो गया। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 2012-13 के 60.36 लाख से बढ़कर 2017-18 में 75.76 लाख हो गया। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में 2012-13 (31.7 प्रतिशत) से 2017-18 (16.2 प्रतिशत) तक 15.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह गिरावट 6.9 प्रतिशत अंकों की थी।

38. मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत 2019-20 में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों के लिए 105.00 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 16.36 करोड़ रु. आबंटित किए

गए। उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए 63.40 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।

39. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2018-19 में 30,933 विद्यार्थियों के लाभ के लिए 34.40 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।

40. वृद्ध, विधवा और नि:शक्त लोगों के लिए पेंशन योजनाओं पर व्यय 2005-06 के 98.34 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 3,138.88 करोड़ रु. हो गया और इन योजनाओं से 63.6 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं।

41. बिहार में बच्चों की कुल संख्या 4.98 करोड़ है और देश के बच्चों की कुल आबादी में राज्य के बच्चों का 11 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में बाल लिंग अनुपात बिहार के समग्र लिंग अनुपात (918) से अधिक था। बाल लिंग अनुपात 0-6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 935 लड़कियां प्रति 1000 लड़के, 0-14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 923 लड़कियां प्रति 1000 लड़के और 0-18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 897 लड़कियां प्रति 1000 लड़के थे। बाल लिंग अनुपात अनुसूचित जाति में 962 और अनुसूचित जनजाति में 969 था जो राज्य के औसत (935) से अधिक था।

42. बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 में हुई जिसमें बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं के विवरण प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीच बच्चों के विकास पर व्यय 23.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 2013-14 के 1225 रु. से बढ़कर 2018-19 में 3727 रु. हो गया। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा है।

43. पेयजल की सुविधा वाले प्रारंभिक विद्यालयों का हिस्सा 2011-12 के 93.0 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 99.0 प्रतिशत हो गया था। लड़कों के लिए शौचालय सुविधा वाले विद्यालयों का हिस्सा 2011-12 में 70.3 प्रतिशत था जो 2016-17 में बढ़कर 97.8 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, लड़कियों के लिए शौचालय वाले विद्यालयों का हिस्सा भी 2011-12 के 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 94.0 प्रतिशत हो गया।

44. विद्यालय-त्यागी बच्चों की कुल संख्या में कमी आई है जो 2016-17 में 2.17 लाख से 2018-19 में 1.44 लाख रह गई। इन 1.44 लाख बच्चों में से 29.4 प्रतिशत अजा, 13.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक और मात्र 3.0 प्रतिशत अजजा बच्चे थे।

45. वर्ष 2018-19 में बिहार में औसत 780 मिमी वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ। किशनगंज में सर्वाधिक 1522 मिमी वार्षिक वर्षापात हुआ और सबसे कम 403 मिमी जहानाबाद जिले में देखा गया।

46. जल-जीवन-हरियाली राज्य सरकार की प्रमुख योजना है जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से संबंधित समस्याओं को दूर करना है। इस अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2019-20 से 2021-22 तक कुल अनुमानित व्यय 24,524 करोड़ रु. है। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए व्यय क्रमश: 5870 करोड़ रु., 9874 करोड़ रु. और 8780 करोड़ रु. अनुमानित है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 19 जनवरी, 2020 को आयोजित मानवशृंखला निर्माण में 5.17 करोड़ से भी अधिक लोगों ने भाग लेकर 18,034 किमी लंबी मानवशृंखला बनाई।

47. बिहार में वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने 2018-19 में प्राकृतिक आपदाओं के लिए 1607.14 करोड़ रु. का अलग से व्यय तय कर रखा है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस मकसद से राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में 318.23 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं।

48. गैस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) पटना भौगोलिक क्षेत्र में नगर गैस वितरण नेटवर्क बना रही है जिसमें पहले पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम 50,154 पीएनजी कनेक्शन होंगे। पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किमी है और 25 वर्षों की कार्ययोजना के लिए अनुमानित परियोजना व्यय 850 करोड़ रु. है। 98 करोड़ रु. के व्यय से गैल ने 11,000 पीएनजी अधिसंरचना का निर्माण पूरा कर लिया है और 5 सीएनजी स्टेशन चालू हैं।

49. बिहार को ई-शासन के क्षेत्र में आठ प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं क्योंकि राज्य सरकार ने सुशासन और सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए लगातार प्रयास किया है। राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों द्वारा ई-शासन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर पर सूचना एवं संचार (आइसीटी) अधिसंरचना सुदृढ़ की गई है।

50. कानून और शासन बहुत जटिल मामला होता है और सीसीटीएन, साइबर सिक्योरिटी, ई-प्रीजन, सीसीटीवी और वीडिया कंफ्रेंसिंग, बिहार पुलिस हेल्पलाइन, ई-कोर्ट, बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली, ई-म्युनिसीपैलिटी बिहार, ई-ऑफिस आदि के जरिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कानून एवं व्यवस्था के प्रवर्तन और राज्य में शांत वातावरण बनाने में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

51. राज्य सरकार ने 2019 से लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) के जरिए अपने बजट आबंटन और कार्यसंचालन दक्षता में सुधार किया है। हितधारकों को कार्यालय आधारित और खास अभिकरण के बारे में नीतिगत निर्णय में मदद के लिहाज से प्राप्ति, व्यय, ऋण और निवेश, तथा अर्थोपाय अग्रिम की तत्काल जानकारी के लिए इसकी शुरुआत सभी विभागों, कोषागारों, जिला विकास कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी कार्यालयों को जोड़कर की गई है।

52. ई-लाभार्थी से कन्या उत्थान सहित अनेक कार्यक्रमों के करोड़ों लाभार्थियों को ई-सेवाएं उपलब्ध होती है। रिसावमुक्त खाद्य आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के लिहाज से एक सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित किया गया है जिसका मकसद जीपीएस, एसएमएस एलर्ट के जरिए घर-घर की गई डेलीवरी को ट्रैक करना और लाभार्थियों की शिकायतों का निराकरण करना है। प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए धान के मामले में खरीद संबंधी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है और निबंधित किसानों को आरटीजीएस/ नेफ्ट के जरिए 48 घंटे के अंदर भुगतान जारी कर दिया जा रहा है।

53. ई-शासन आपदाओं के पहले और आपदाओं की प्रतिक्रियास्वरूप, दोनो स्थितियों में आपदा से संबंधित सेवाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल संसाधन विभाग की योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली, बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल, नदी व्यवहार विश्लेषण मॉडल, तटबंध संपदा प्रबंधन प्रणाली, वास्तविक समय में आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली, गणितीय मॉडलिंग केंद्र, अनुकृपा अनुदान और तत्काल सहायता आदि के जरिए एलर्ट के माध्यम से नागरिकों को आपदा संबंधी चेतावनी भेजकर कि वे खुद को आपदा के संबंध में तैयार रखें, आपदा संबंधी जागरूकता सुनिश्चित की जा रही है।